# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)

**पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु सिंह कुन्तल आर0ए0एस**

वाद सं0 198/2022

धन्नालाल पुत्र भूराराम जाति जाट नि0 डेहरा तह0 जोबनेर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. धर्मेन्द्र पुत्र मालचन्द
2. शोभादेवी बेवा मालचन्द
3. पुष्कर नारायण पुत्र भंवरलाल
4. भागचन्द पुत्र भवंरलाल
5. लालीदेवी बेवा भंवरलाल
6. इसरीप्रसाद पुत्र हनुमान
7. यशोदानंद पुत्र हनुमान
8. सुशीलदेवी पुत्री हनुमान
9. कमलादेवी पुत्री हनुमान

समस्त जाति ब्राहमा काट्या नि0 जोबनेर तह0 जोबनेर जिला जयपुर।

10. तहसीलदार जोबनेर जिला जयपुर
11. कानाराम पुत्र भूराराम जाति जाट (फौत)

11/1 लाडादेवी पत्नि स्व0 कानाराम

11/2 बिरदीचन्द पुत्र स्व0 कानाराम

11/3 सीताराम पुत्र स्व0 कानाराम

11/4 गुलाबदेवी पुत्री स्व0 कानाराम

11/5 सुप्यार देवी पुत्री स्व0 कानाराम

11/6 रूकमादेवी पुत्री स्व0 कानाराम

समस्त जाति जाट नि0 डेहरा जोबनेर जिला जयपुर।

12. कैलाशचन्द पुत्र कज्जूराम जाति जाट नि0 डेहरा जोबनेर जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

प्रतिवादीगण

## वाद बाबत् विभाजन आराजी व स्थायी निषेधाज्ञा

### निर्णय

दिनांकः— 23.05.2024

वादी द्वारा वाद बाबत विभाजन आराजी एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया गया कि आराजी ख0न0 1838 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा व ख0न0 1839 रकबा 1 विस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 4 विस्वा वाकै ग्राम डेहरा तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0 में स्थित है जो वादी व प्रतिवादी सं0 1 लाग0 9 की संयुक्त कब्जें काश्त व खातेदारी की है जिसमें वादी का 2/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 व 2 का 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 व 4 का संयुक्त 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 5 का 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 6 का 5/72 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 7 का 5/72 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 8 का 1/72 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 9 का 1/72 हिस्सा है जो इसी प्रकार काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 9 को पारस्परिक सहमति से वादग्रस्त भूमि का मौखिक रूप से मौके के कब्जे के अनुसार विभाजन कर रखा है तथा अपने अपने हिस्से पर हिस्सेनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है तथा अपनी अपनी हिस्से की भूमि को उन्नत व विकसित कर रखा है। उक्त वादग्रस्त आराजी अविभाजित है जिसका विभाजन विधिक रूप से करवाने के लिए प्रतिवादी सं0 1 लगा0 9 को वादी ने कई बार कहा परन्तु हर समय यही आश्वासन देते रहे कि कब्जा काश्त तो तुम्हारा तुम्हारे हिस्से पर मौके के कब्जे के अनुसार चला आ रहा है जब कभी समय मिलेगा विभाजन करवा लेगे जिससे वादी आश्वस्त चला आ रहा है उक्त भूमि अविभाजित होने से कब्जें काश्त को लेकर अब पक्षकारान में मनमुटाव रहने लग गया है जिसके कारण विवाद होने की संभावना बनी रहती है ओर ऋण आदि लेने मे भी परेशानियों का सामना करना पडता है। आजकल प्रतिवादी सं0 1 लगा0 9 की नियत मे फितुर आया हुआ है ओर जमीनो के भाव बढ़ जाने से उनकी नियत बदल गयी है तथा वे उक्त भूमि के मनचाहे स्थान पर कब्जा करके भूमि का बेचान करना चाहते है जिसकी वजह से दिनांक 04.04.2013 को प्रतिवादी सं0 1 लगा0 9 को वादग्रस्त भूमि पर अजनबी व्यक्तियो को लेकर आये ओर भूमि का मनचाही जगह से बेचान करने का सौदा करने लगे व मनचाही जगह निर्माण सामग्री डालकर निर्माण करने लगे जिस पर वादी ने उनको ऐसा करने से मना किया ओर विधिक रूप से भूमिका विभाजन करवाने को कहा तो प्रतिवादी सं0 1 लगा0 9 इंकार हो गये ओर वादी को प्रतिवादी सं0 1 लगा0 9 को धमकी दी कि वे बिना विभाजन

उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

करवाये ही मनचाही जगह कब्जा करके भूमि का बेचान करके वादी को उसके मौके के कब्जे से बेदखल कर देगे व मनचाही जगह निर्माण करेगे इसलिए वादी को अपने हक व अधिकारो की सुरक्षा के लिए यह वाद बाबत विभाजन आराजी विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। वकील वादी ने प्रा0पत्र आर्डर 1 रूल 10 जा0दी0 का पेश किया। प्रतिवादी सं0 11 की मृत्यु पर वकील वादी ने कायम मुकाम का प्रा0पत्र पेश किया। वकील वादी द्वारा संशोधित शीर्षक पेश किया। प्रतिवादी सं0 11/1 लगा0 11/6 व 12 की ओर से वकील श्री शमीम उल हक ने वकालतनामा मय जबाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। प्रतिवादी सं0 1 लगा0 9 की अखबार साया से तामिल करवायी गयी। अखबार साया से तामिल करवाने के बाद भी प्रतिवादी सं0 1 लगा0 9 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी सं0 10 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। वकील वादी द्वारा जबाब काउन्टर क्लेम पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र डेहरा में पेश हुयी। वादी धन्नालाल एवं प्रतिवादी बिरदीचन्द उपस्थित है मजमेंआम मे सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। काउन्टर क्लेम में बंटवारा चाहा गया है पक्षकारान रिलीफ बंटवारा ही है पक्षकारान ने वाद को प्राथमिक डिकी किये जाने का निवेदन किया गया जिस पर पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् वादी का वाद मौके, रिकॉर्ड कब्जे तथा बाई मिट्स एण्ड बोन्डस के अनुसार वाद प्राथमिक डिकी किया गया। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार जोबनेर द्वारा दिनांक 05.04.2023 को कुरेजात रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गयी।

अधिवक्ता वादी द्वारा वादी का वाद मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट के अंतिम डिक्री किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, जोबनेर द्वारा प्राप्त कुरेजात का अवलोकन किया गया। वादी का वाद मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

**वाकै ग्राम डेहरा तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0**

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

| क्र.स | नाम खातेदार | खसरा | रकबा | किस्म |
|---|---|---|---|---|
| 1 | धन्नालाल पुत्र भूराराम जाति जाट सा. देह | 1838/A | 0.1939 | बा.2 |
| | | किता01 | 0.1939 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | इश्वरीप्रसाद पुत्र हनुमान 5/24 हि.<br>धर्मेन्द्र पुत्र मालचन्द 1/16 हि.<br>शोभा देवी पत्नि मालचन्द 1/16 हि.<br>लालीदेवी पत्नि भंवरलाल 1/8 हि.<br>यशोनंदन पुत्र हनुमान 5/24 हि.<br>सुशीला पुत्री हनुमान 1/24 हि.<br>भागचन्द पुत्र भंवरलाल 1/12 हि.<br>नारायण पुत्र भंवरलाल 1/12 हि.<br>पुष्कर पुत्र भंवरलाल 1/12 हि.<br>कमला पुत्री हनुमान 1/24 हि.<br>ब्राहमा काट्या सा. जोबनेर खातेदार | 1838/ B<br>किता 01 | 0.0969<br>0.0969 | बा.2<br>ब.2 |
| 3 | इश्वरीप्रसाद पुत्र हनुमान हि. 5/72<br>कमला पुत्री हनुमान हि. 1/72<br>धर्मेन्द्र पुत्र मालचन्द हि. 1/48<br>नारायण पुत्र भंवरलाल हि. 1/36<br>पुष्कर पुत्र भंवरलाल हि. 1/36<br>भागचन्द पुत्र भंवरलाल हि. 1/36<br>यशोनंदन पुत्र हनुमान हि. 5/72<br>लालीदेवी पत्नि भंवरलाल हि. 1/24<br>शोभादेवी पत्नि मालचन्द हि. 1/48<br>सुशीला पुत्री हनुमान हि. 1/72<br>धन्नालाल पुत्र भूराराम हि. 2/3<br>जाति जाट सा. देह खातेदार | 1839<br>किता 01 | 0.0126<br>0.0126 | गै.मु. चाह<br>गै.मु. चाह |

तहसीलदार जोबनेर को आदेश दिये जाते हैं कि मुताबिक डिक्री कुरेजात राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार के द्वारा बैंक के पक्ष में रहन रखे गये हिस्से को उसके खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। बैंक का रहन खातेदारों के नाम यथावत रहेगा। पर्चा डिक्री तहरीर जारी की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2024 को टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिमन्यु सिंह कुन्तल)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)